FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

कमला देवी बनाम सुरेश वगै०

... मुकदमा प्रा० पत्र वाजदायरी नं. 84/2023

...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.08.2023	वादीया की ओर से वकील श्री रामावतार सैनी प्रथम एड0 ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वादपत्र पुनः स्थापित करने बाबत अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा उनवानी प्रकरण श्रीमती कमला देवी बनाम सुरेश कुमार वगै0 मुकदमा संख्या 239/2010 को दिनांक 19.07.2023 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। वादीया वृद्ध महिला होकर बीमार होने तथा अपने पुत्र के पास जयपुर में रहकर ईलाज करवाने के कारण न्यायालय में तारीख पेशी पर समय पर उपस्थित नहीं आ सकी एंव प्रार्थीया के अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित आने से पूर्व ही पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज फरमाये जाने के आदेश हो चुके थे। प्रार्थीया का प्रकरण अचल सम्पति से सम्बन्धित होने से प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र वाजदायरी पेश किया जा रहा है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी पर वकील वादीया को सुना गया। वकील वादीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वादपत्र पुनः स्थापित करने बाबत अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सीपीसी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा उक्त उनवानी प्रकरण श्रीमती कमला देवी बनाम सुरेश कुमार वगै0 मुकदमा संख्या 239/2010 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा वादपत्र में आगामी पेशी 31.08.2023 नियत की जाती है। प्रार्थना पत्र वाजदायरी दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.08.16 11:18:07 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर	